

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-01-46/2024/

पटना/दिनांक

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-3127 दिनांक 06.03.2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-4266 दिनांक 28.12.2021 में निहित प्रावधानों के तहत निम्न कनीय अभियंता को उनके आवेदन समर्पित करने की तिथि (कंडिका-06) से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्णता की बाध्यता से विमुक्त किया जाता है :-

क्र0	नाम/पदनाम/ आई0डी0	पदस्थापित/सेवानिवृत्त कार्यालय	जन्म तिथि	50 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	आवेदन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री शैलेन्द्र कुमार (जे0 8707), तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर	02.01.1964 (पू0-29/प0)	02.01.2014	11.01.2022 (पू0-28/प0)

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना/
कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर/श्री शैलेन्द्र कुमार (जे0 8707), तत्कालीन कनीय
अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, टोला-ठाढ़ी, ग्राम+पो0-पस्तयार, जिला-सहरसा,
पिन-852107 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 4730

पटना/दिनांक - 17/08/2024

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार,
पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

M. Q. A. S. 12/08/24
अवर सचिव (प्रबंधन)।